

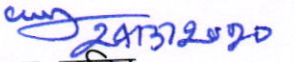
राजस्व पर्षद, बिहार

कार्यालय आदेश
सं०-५५८

पटना, दिनांक २५-०३-२०२०

कोरोना वायरस (कोविड-१९) के संक्रमण से रोकथाम के उद्देश्य से
मा० अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद के न्यायालय में चल रहे सभीवादों की
सुनवाई निदेशानुसार दिनांक ३१.०३.२०२० तक स्थगित की जाती है।

सुनवाई की अगली तिथि की सूचना वाद में दी जायेगी।


अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार।